


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्रम	नाम कार्मिक	विषय	कहां से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहां को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	अंजू गौड	जीव विज्ञान	कैथून कोटा से नैनवा बून्दी के आदेश पर	बून्दी	बा0 केशोरायपाटन	बून्दी
2	राजदा सुल्ताना	जीव विज्ञान	बा0 केशोरायपाटन	बून्दी	नैनवा बून्दी	बून्दी
3	राजकमल परिहार	जीव विज्ञान	किशनगंज बांरा	बांरा	राउमावि बून्दी	बून्दी
4	राजेश चतुर्वेदी	जीव विज्ञान	राउमावि बून्दी	बून्दी	किशनगंज बांरा	बांरा
5	सुनीता अग्रवाल	जीव विज्ञान	आमेर जयपुर	जयपुर	मोतीकटला (प्रभावी दिनांक 01.10.18)	जयपुर
6	आशीष कुमार चन्देल	जीव विज्ञान	डग-झालावाड	झालावाड	मण्डावर	टोंक
7	अवनीश गोयल	रसायन विज्ञान	श्री बाबूनाथ स्वामी जुरहरा, कामां	भरतपुर	रामबाबु उमावि उच्चेन रूपवास	भरतपुर
8	उषा वर्मा	रसायन विज्ञान	पलायथा, अन्ता	बांरा	बा0 भीममण्डी	कोटा
9	ललिता जैन	रसायन विज्ञान	बा0 भीमगंजमण्डी	कोटा	पलायथा, अन्ता	बांरा
10	निशा कुमावत	गृह विज्ञान	बाबा रामदेव, हेमलियावास खुर्द	पाली	बा0 बस्सी	जयपुर

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 04/10/2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 2, 4, एवं 9 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें। साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में नियुक्त कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग अनुभाग (1) के पत्रांक प.7 (1) प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 31.07.18 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुसार दिनांक 31.07.18 से 29.09.18 की अवधि के पश्चात ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करेंगे। संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।

  
(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(मुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक, बीकानेर
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बीकानेर
- 5 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर




# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	कहाँ से (राउमावि)	कहाँ को (राउमावि)
1.	चन्दा सिंह पंवार	भौतिक	नगवा (धोद) सीकर	बोयणा (मावली) उदयपुर
2.	महेन्द्र भट्ट	भौतिक	दुर्गावास (अजमेर) से टाडगढ़ (अजमेर) के आदेश पर	बल्ली जरसाखेड़ा (भीम) राजसमन्द
3.	रीता सक्सैना	भौतिक	कल्लावास (लालसोट) दौसा	बनियाना (लवाण) दौसा
4.	नीरज आहूजा	भौतिक	मोडी भीमसागर (झालावाड़)	2एमएलडी(ए)घडसाना (श्रीगंगानगर)
5.	मुकेश कुमार विजय	भौतिक	महादेवपुरा (चाकसू) जयपुर	चित्तौड़ा (फागी) जयपुर
6.	छोटूराम मीणा	भौतिक	चित्तौड़ा (फागी) जयपुर	महादेवपुरा (चाकसू) जयपुर
7.	हंसराज मीणा	गणित	पाडली (सिकराय) दौसा	खोहरामुल्ला (महवा) दौसा
8.	ऋषिकेश मीणा	गणित	खोहरामुल्ला (महवा) दौसा	पाडली (सिकराय) दौसा
9.	दिनेश कुमार कटारिया	गणित	बा. गंगपुर सिटी (सवाईमाधोपुर)	हिण्डोनसिटी (करौली)

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 05/10/18 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्र.सं. 08 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। एवं शेष रहे अन्य कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES के कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थान पर स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक के कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में नियुक्त कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग अनुभाग (1) के पत्रांक प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट, जयपुर, दिनांक: 31.07.18 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार दिनांक: 31.07.18 से 29.09.18 की अवधि के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27/9/18

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/स्थानान्तरण/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान